

मध्य प्रदेश शासन  
आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 17-9-2013

क्रमांक-एफ-3-62/2013/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट टीकमगढ़ विकास योजना 2011 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची


क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयो ग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम डुमरउमोटा	104 / 1 ,104 / 2 104 / 3,104 / 4 104 / 5,104 / 6 104 / 7,104 / 8 104 / 9,104 / 10 104 / 11,104 / 12 104 / 13,104 / 14 104 / 15,104 / 16 104 / 17,104 / 18	6.151 हे० में से 5.157 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय शर्तें- रेल्वे की भूमि तथा एम.आर. -4 के बाद 6-6 मीटर भूमि खुली छोड़ी जाए ।
		योग-	5.157 हे०		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर तथा [www.mptownplan.nic.in](http://www.mptownplan.nic.in) वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



( वर्षा नावलेकर )

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग